... वकील वादी एवं स्वयं वादी हाजिर नहीं है। कई बार आवाज दिलाने पर भी स्वयं वादी व उनके वकील हाजिर नहीं है। अत: दावा वादी अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

16-2-2015 बाजदायरी सं० 31/12 उनवानी गुलाबुद्दीन बनाम चन्दू वगैरा आज स्वीकार होने पर यह दावा पुन: नम्बर पर लिया गया। दावा पत्रावली पुन: दर्ज की जावे। वकील वादी उप० है। वास्ते बहस पत्रावली दि० 13-3-2015 को पेश हो।

13-3-15 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/~~वकील~~ ~~प्रतिपक्ष~~ उपस्थित है। श्रीमान् P.O. साहब दौरे पर है। ~~अवकाश पर है/का स्थानान्तरण हो गया है।~~ अत: पत्रावली दि० 14-3-15 को पेश हो।

रीडर

14-3-15 वकील वादी उपस्थित है। वकील वादी प्रकरण में बहस हेतु समय चाहते है। अत: बहस हेतु पत्रावली दि० 17-3-2015 को पेश हो।

17-3-15 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/~~वकील~~ ~~प्रतिपक्ष उपस्थित है। श्रीमान् P.O. साहब~~ दौरे पर है। ~~अवकाश पर है/का स्थानान्तरण हो गया है~~। अत: पत्रावली दि० 20-3-15 को पेश हो।

रीडर

20-3-2015 वकील वादी उपस्थित है। वकील वादी ने नवीन दावा पेश करने की अनुमति सहित यह दावा विदड्रा करने की अनुमति हेतु प्रा०पत्र पेश किया है। वकील वादी को सुना गया। प्रस्तुत वाद का अवलोकन किया गया। प्रा०पत्र स्वीकार किया जाता है। नवीन दावा पेश करने की अनुमति के साथ ही यह दावा विदड्रा करने की अनुमति दी जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला कलेक्टर
[illegible]
गंगापुर सिटी (स०मा०)
[illegible]